


10-12-16

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। आदेशपाल ने दर्ज किया है, कि विपक्षी इस मौजा में नहीं रहता है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन देखा तथा सरजमीन जाकर देखा, इस जमीन पर विपक्षी का दखल-कब्जा नहीं पाया, हाल सर्वे में भी यह जमीन का खाता नं०-271 अनाबाद बिहार सरकार के नाम से प्लॉट सं०-204 बना हैं, चल रही जमाबंदी सन्देहास्पद है।

अतः विपक्षी के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतू भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजे।



अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

6/1/17

अभिलेख आजा उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। आदेशपाल ने दर्ज किया है, कि विपक्षी इस मौजा में नहीं रहता है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन देखा तथा सरजमीन जाकर देखा, इस जमीन पर विपक्षी का दखल-कब्जा नहीं पाया, हाल सर्वे में भी यह जमीन का खाता नं०-271 अनाबाद बिहार सरकार के नाम से प्लॉट सं०-204 बना हैं, चल रही जमाबंदी सन्देहास्पद है। अतः विपक्षी के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

1/1/17

अभिलेख आजा उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। आदेशपाल ने दर्ज किया है, कि विपक्षी इस मौजा में नहीं रहता है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन देखा तथा सरजमीन जाकर देखा, इस जमीन पर विपक्षी का दखल-कब्जा नहीं पाया, हाल सर्वे में भी यह जमीन का खाता नं०-271 अनाबाद बिहार सरकार के नाम से प्लॉट सं०-204 बना हैं, चल रही जमाबंदी सन्देहास्पद है। अतः विपक्षी के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

